श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
जमानत आवेदन सं0– 253/26
हिलसा थाना काण्ड सं0– 105/26

दीपक नट एवं अन्य.....आवेदकगण
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

06/06/2026 काराधीन अभियुक्त (1) दीपक नट पिता भूरा नट, उम्र 20 वर्ष, सा0 हरिहरगंज, थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद एवं (2) शर्मा नट पिता कौलेज नट, उम्र 30 वर्ष, सा0– सकियान विगहा, थाना अमझौर, जिला रोहतास के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार द्वारा संचालित किया गया है, जो हिलसा थाना काण्ड सं0– 105/26, अन्तर्गत धारा– 303(2), 318(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दि0– 12/02/2026 से न्यायिक हिरासत में है।

सूचिका अनिता कुमारी द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 11/02/2026 को समय करीब 11:30 बजे दिन में दो व्यक्ति साधु के वेश में आया और चावल, गेहूँ मांगा। सूचक एक गिलास चावल लेकर उसके झोली में डाल दिया। उसी वक्त दोनों में से एक व्यक्ति अपने मुझे कहा कि तुम अपना कानवाली खोलकर दो तो दुगुना कर लौटा दूँगा। सूचिका अपना कानवाली खोलकर उसे दे दिया तब उसके द्वारा सूचिका को पेपर में लपेटकर आंचल पर कुछ सामान देते हुए बोला कि ऑचल में बांधकर रखिए कल खोलने पर दोगुना हो जाएगा। उक्त दोनों व्यक्ति सूचिका के घर से बाहर निकला तो सूचिका अपना आंचल में देखी कि मेरा कानवाली गायब है, इसपर सूचिका हल्ला करते हुए उन दोनों के पीछे दौड़ने लगी तथा लोगों की मदद से उन दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः शर्मा नट एवं दीपक नट बताए।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में जमानत याचिका बी0पी0नं0– 163/26 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय हिलसा, नालन्दा के द्वारा इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था कि आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद आवेदकगण अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत कर सकते हैं। जिसके खिलाफ आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई अपील नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा संज्ञान लिए जाने पर आवेदकगण के विरुद्ध आरोप भी दिनांक 06/05/2026 को विरचित किए गए हैं। नियमित जमानत आवेदन सं0– 163/26 में दी गई टिप्पणी के आलोक में आवेदकगण न्यायालय की सहानुभूतिपूर्ण विचारण के हकदार है, क्योंकि उन्होंने न्यायालय की शर्तों को पूरा किया है। आवेदकगण दिनांक 12/02/2026 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा इस सम्प्रेक्षण के साथ खारिज किया गया था कि आवेदकगण अपना जमानत आवेदन आरोप गठन के पश्चात् पुनः नवीनीकृत कर सकते हैं। अभिलेख अवालोकन से विदित होता है कि इस काण्ड में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप–पत्र समर्पित किया जा

जमानत आवेदन सं0– 253/26
हिलसा थाना काण्ड सं0– 105/26

चुका है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 07/05/2026 को दोनों आवेदकगण के विरुद्ध धारा– 303(2), 318(4) भा0न्या0सं0 के अनतर्गत आरोप का गठन किया जा चुका है। आवेदक लगातार दिनांक 12/02/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उनके विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। इस वाद में सूचिका से छल के द्वारा चोरी किया गया सोने का कानवाली भी उसके पक्ष में रिलीज किया जा चुका है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किया जाना न्ययोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण द्वारा 10,000/– रु0 के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) दोनों आवेदकगण अपनी पहचान हेतु स्थाई पता से संबंधित वैध दस्तावेज बंध–पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (2) दो जमानतदारों में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा तथा दूसरा ग्राम समाज का सम्मानित सदस्य होगा। (3) काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे न ही साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करेंगे। (4) आवेदकगण को आगे समान प्रकृति के किसी भी अन्य अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर आवेदकगण का बंध पत्र खंडित किया जा सकता है।

(लेखापित एव संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा